न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 18/2020

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
मदनलाल पुत्र गुदड़राम जाति जाट निवासी ग्राम भावी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. भानाराम पुत्र रामचन्द्र 2. सोनाराम पुत्र रामचन्द्र 3. तुलछाई पुत्री रामचन्द्र 4. पेमीदेवी पुत्री रामचन्द्र 5. फम्बुदेवी पुत्री रामचन्द्र 6. गोलकी पत्नी रामचन्द्र जातियान वि”नोई निवासीगण तिलवासनी, तहसील पीपाड़”ाहर जिला जोधपुर 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 7 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 1.0760 हैक्टेयर आई हुई है। यह भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 202 के दक्षिणी—पश्चिमी दिशा की ओर खसरा नम्बर 199 रकबा 3.8347 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारो भूमि के दक्षिणी—पं”चमी दि”ाा की ओर एक माठ कायम की हुयी है जो माठ एक रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग में आ रही है। ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में खसरा नम्बर 183 गै.मु. रास्ता आया हुआ है, उक्त गैर मुमकीन रास्ते पर मुडिया सड़क बनी हुयी है जो ग्राम [illegible] ग्राम बोयल जाने वाला मुडिया सड़क के ठीक पूर्वी दि”ाा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 [illegible] भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 3.8347 हैक्टेयर में का”त कार्य करने हेतु पहुंचते है, इसी प्रकार प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:09 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 202 में का”त कार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 199 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. स्थित आम रास्ता से होकर आते जाते है तथा इसी ए.बी.सी.डी.ई.एफ. के रास्ते से प्रार्थी अपना ट्रेक्टर, मोटर साईकिल, छकड़ा आदि के साधन लेकर जाते है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 202 में कृषि कार्य आदि करने हेतु का यही एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, जिसका नजरी नक”ाा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 199 के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. भाग के आम रास्ते को उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 202 में जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 199 के ए.बी.सी.डी.ई.एफ. भाग से ही भूमि खसरा नम्बर 202 में पहुचते है एवं उक्त रास्ते का उपयोग कई वर्षो से उपयोग उपभोग मे ंलेते आ रहा है, इस कारण प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 199 के ए.बी.सी.डी.ई.एफ. भाग के रास्ते को राजकीय रास्ता घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी का यह ए.बी.सी.डी.ई.एफ. मार्क का रास्ता आत्यंतिक आव”यकता का मार्ग है। जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज कराने हेतु व नक”ाा ट्रेस में रास्ते को तरमीम करवाने हेतु का पार्थना पत्र पे”ा किया है।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम भावी जे.बी. तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 1.0760 हैक्टेयर में प्रार्थी को का”त कार्य करने के लिए जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 199 के ए.बी.सी.डी.ई.एफ. भाग से होकर रास्ता निकलता है जो खसरा नम्ब 202 में पहुचता है जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किये जाने का आदे”ा फरमावे तथा राजकीय रास्ते का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदे”ा तहसीलदार बिलाडा को फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आ”ाय के प्राथना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 7 से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट हेतु अलग से तहरीर जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के नोटिस बाद तामिल पे”ा हुए। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को जवाब हेतु अवसर प्रदान किया गया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 6 स्वयं अथवा इनकी ओर से कोई पैरोकार उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार बिलाड़ा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक”ाा, संबधित खसरो की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पे”ा की, जिसके अनुसार प्रार्थी के ग्राम भावी जे.बी. में स्थित भूमि खसरा नम्बर 202 रकबा 1.0760 हैक्टेयर भूमि में आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रार्थी अपने खेत में पडोसी खेतो से होकर आना जाना करता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कि[illegible] का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि में खसरा नम्बर [illegible] में से 8 बिस्वा भूमि रास्ता उपयोग में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:09 IST
Reason: SelfAttested

जायेगी। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर से दो गुणा राि" 31080/— रूपये बनती है। वांछित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी राि" का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तावित है :—

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा बीघा में	डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत
1.	गोलकी पत्नी रामचन्द्र हिस्सा 1/12 तुलछाई पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/12 पेमीदेवी पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/12 फम्बुदेवी पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 1/12 भानाराम पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/3 सोनाराम पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 1/3 सभी जातियान विश्नोई, सा. तिलवासनी	199	3.8347	8 बिस्वा	240187	31080/—
कुल योग						31080

उपरोक्त प्रपत्र में द"ाये अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खेत खसरा नम्बर 199 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक"ाा नकल म पस्तावित रास्ता द"ााया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्राथी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमी"नर रिपोर्ट दिनांक 07.10.2021 के साथ संलग्न नजरी नक"ो में द"ााया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राि" अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को अदा करने को तयार है। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 202 में का"त काय करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की भूमि खसरा नम्बर 199 के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 202 में पहुचता है मौका कमी"नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होतो है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 202 में का"त काय करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर का"त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आव"यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक भावी के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 07.10.2021 एवं उसके साथ पे"ा किया गया संलग्न नजरी नक्शा में द"ााये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्राथी अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राि" जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति[illegible] अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा राि" जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की [illegible] बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राि" राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:09 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्"ाा दिनांक 07.10.2021 को इस आदे"ा का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदे"ा माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्"ाा (मय तरमीम) के साथ पे"ा करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:09:09 IST
Reason: SelfAttested